न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13/2022

बउनवान

1. गोपालीबाई पुत्री केसर पत्नी गोपाल लाल जाति बैरवा निवासी पाठेड़ा हाल मुकाम गांधी कॉलोनी, बारां, जिला बारां (राज0)
2. भैरूलाल दत्तक पुत्र श्रवणलाल जाति बैरवा निवासी पाठेड़ा तहसील व जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां **(रेंस्पोडेंट)**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 211/2 राजस्व केम्प पाठेड़ा दिनांक 28.07.1997 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 29.09.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पाठेड़ा की आराजी खसरा नंबर 1104 रकबा 0.46 है. के नामान्तरकरण में वर्णित सजरे में तत्कालीन खातेदार श्रवणलाल के दो पुत्रियां रामनाथी मृतक तथा केसर पुत्री के रूप में अंकित किया था परन्तु नामान्तरकरण तस्दीक करते समय केसर को श्रवणलाल का पुत्र गलत रूप से अंकित कर जमाबंदी में अंकन केसर पुत्र भंवरलाल किया गया है जबकि मृतक श्रवणलाल ने अपने जीवनकाल में कोई पुत्र नहीं होने के कारण अपने निकटतम सम्बन्धी भैरूलाल पुत्र गोपीलाल को रख लिया था इस कारण श्रवणलाल के दो ही विधिक वारिस थे, परन्तु राजस्व केम्प मे बिना किसी आधार बगैर जांच किये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। श्रवणलाल की पुत्री केसर का भी देहान्त हो गया है तथा अपीलांट कम 1 उसकी पुत्री है परन्तु राजस्व रेकार्ड में केसरबाई का नाम का अंकन पुत्री का ना होकर पुत्र के रूप में है तथा जमाबंदी में केसर के पिता का नाम श्रवणलाल के स्थान पर भंवरलाल अंकित होने से अपीलांटगण के नाम उक्त खाते में अंकन नही हो पा रहा है । अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:56 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के सजरे में केसर का नाम श्रवणलाल की पुत्री के रूप में अंकित किया गया है परन्तु तस्दीक करते समय पुत्री के

स्थान पर पुत्र केसर दर्ज कर दिया गया तथा अपीलांट क्रम 2 का नाम भी अंकित नहीं किया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बारां को पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा नामांतकरण निर्णय दिनांक 28.07.1997 के इतने समय पश्चात अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

ग्राम पाठेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 211/2 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1104 का नामान्तरकरण मृतक श्रवणलाल के स्थान पर पुत्र केसर के नाम दर्ज किया गया है जबकि सजरे में केसर एवं रामनाथी को मृतक श्रवणलाल की पुत्रियां होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम पाठेड़ा का नामान्तरकरण संख्या 211/2 दिनांक 28.07.1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक श्रवणलाल के समस्त वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:56 IST
Reason: SelfAttested